न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 174/2017 राजस्व वाद

रमजान पिता जमालुद्दीन जी रंगरेज मृतक के कायम मुकाम :–

1. कुतुबुद्दीन पिता रमजान जी रंगरेज उम्र 39 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
2. इमरान मोहम्मद पिता युनुस मोहम्मद रंगरेज उम्र 21 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
3. नसीम बानु पुत्री युनुस मोहम्मद रंगरेज उम्र 22 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
4. सिमरन बानु पुत्री युनुस मोहम्मद रंगरेज उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिये माता शहनाज बानु पत्नी युनुस मोहम्मद निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
5. माफिया बानु पुत्री युनुस मोहम्मद रंगरेज उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये माता शहनाज बानु पत्नी युनुस मोहम्मद निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
6. शहनाज बानु पत्नी युनुस मोहम्मद उम्र 40 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
7. शहनाज बानु पुत्री रमजान जी रंगरेज उम्र 49 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
8. फातमा बेगम पुत्री रमजान जी रंगरेज उम्र 47 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
9. सुगरा बानु पत्नी रमजान जी रंगरेज उम्र 70 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

–वादीगण

बनाम

1. शंकर पिता बद्री हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
2. मीठू पिता नेनूराम हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
3. शांतिलाल पिता रामपाल हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
4. सोनू पिता देवा हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
5. लाली पत्नी देवा हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
6. उमा उर्फ ओम त्यागी पिता नेनूराम हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
7. मोहन पिता नेनूराम हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
8. भैरू पिता छोगा हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
9. मांगी बेवा छोगा हरिजन मृतक के कायम मुकाम :–
   9/1 भैरू पिता छोगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

सहायक कलक्टर करेड़ा

9/2 शंभु पिता छोगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

9/3 शांति पुत्री छोगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

9/4) भंवरी पुत्री पिता छोगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10. भमरू पिता भीमा हरिजन मृतक के कायम मुकाम

10/1 दिनेश पिता भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/2 सुन्दर पिता भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/3 किशन पिता भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/4 दीपक पिता भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/5 छोटी पुत्री भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/6 श्रीमती मनोहरी पत्नी भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

11. राजू पिता शम्भू हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

12. भैरूसिंह पिता रूघनाथ सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी बेलियां का खेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

13. दुर्गाकंवर पुत्री रूघनाथ सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी बेलियां का खेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

14. गोपाल पिता मूलचंद खटीक उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

15. श्रीमती शांति पत्नी चांदू हरिजन मृतक का कायम मुकाम

15/1 चांदमल पिता गोकल हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा॰ माण्डल

17. उपपंजीयक सा॰ एवं तहसीलदार सा॰ करेड़ा तहसील–माण्डल

18. मुकेश पिता मदनलाल रेगर निवासी करेड़ा तहसील–करेड़ा जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर करेड़ा

सहायक कलक्टर करेड़ा

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 , 188–92 (क) रा•टि•ए•

निर्णय

दिनांक 26–04–2022

उपस्थित :– भैरूलाल बापना , विपुल बापना –अधिवक्ता वास्ते वादीगण
अब्दुल रशीद पठान – अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 10/1
से 10/6 एवं 18
शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश है

वादी रमजान पिता जमालुद्दीन रंगरेज निवासी करेड़ा ने दिनांक 04–10–2007 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88 , 89 एवं 188–92 (क) रा•टि•ए• के तहत उपखण्ड अधिकारी मांडल के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वादी ने तहसीलदार सा• माण्डल से भूमि आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार सा• मांडल द्वारा दिनांक 5–6–1965 को ग्राम करेड़ा की साबिक आराजी नं• 2198 में से 5 बीघा भूमि वादी को आवंटित की गयी जिसके बटा नंबर 2198/15 क रकबा 5 बीघा डाले जाकर नामान्तरकरण सं• 447 से वादी के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई । इसके पश्चात् नामान्तरकरण सं• 978 दिनांकित 14–7–1975 से उक्त भूमि वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करने का आदेश हुआ जो संवत् 2021 से 2024 की जमाबंदी में वादी के नाम पर दर्ज थी। उक्त भूमि पर वक्त आवंटन से ही वादी का कब्जा चला आ रहा है । वादी का उक्त भूमि पर पिछले 42 वर्षों से निरंतर कब्जा चला आ रहा है । वादी ने उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाने में हजारों रूपयों की लागत लगाई है । उक्त भूमि का लगान भी वादी ही अदा करता आ रहा है । वादी ने उक्त भूमि पर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा मांडल से ऋण भी लिया था । वादी वक्त आवंटन से ही उक्त भूमि को काश्त कर रहा है एवं वर्तमान में भी उसने उक्त भूमि को काश्त कर रखी है ।

वादी ने अपने वादपत्र में आगे यह भी अंकन किया कि वादी को आवंटनशुदा भूमि रकबा 5 बीघा पर आज पर्यन्त वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है और लगान भी वादी ही अदा करता आ रहा है किन्तु उक्त भूमि नवीन बंदोबस्त में वादी के नाम पर दर्ज नहीं होने से वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ रहा है जिससे इन्द्राज दुरूस्ती करायी जाकर उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम से हटायी जाकर वादी के खाते में बतौर खातेदार अभिलिखित किया जाना व नक्शा ट्रेस में भी इसी अनुसार संशोधन कराया जाना आवश्यक है इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है । वर्तमान में नया राजस्व ग्राम बेलिया का खेड़ा पटवार हल्का क... सृजन हो जाने से उक्त आवंटित आराजी ग्राम बेलिया का खेड़ा पटवार हल्का क... में ...गयी है।

वादी ने अपने वादपत्र में आगे यह ... उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी के खाते में दर्ज नहीं होने से प्रतिवादीगण उक्त भूमि से वादी को बेदखल करना चाहते हैं एवं उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहे हैं जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि को किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द अन्तरित नहीं करे एवं वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं करे एवं उक्त भूमि में वादी के शांतिपूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

सहायक कलक्टर करेड़ा

उपयोग–उपभोग में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करे एवं प्रतिवादी सं• 17 को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि अगर प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के अंतरण का कोई भी दस्तावेज पंजीयन हेतु उनके समक्ष पेश करे तो वे उसका पंजीयन नहीं करे ।

वादी का वादपत्र बाद जांच पेश होकर दर्ज रजिस्टर किया गया और प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जो बाद तामील जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए । प्रतिवादी सं. 12 व 13 की ओर से दिनांक 08–09–2011 को जवाबदावा प्रस्तुत हुआ जिसमें उन्होंने वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का खण्डन किया । कालान्तर में करेड़ा उपखण्ड बनने पर यह वादपत्र इस न्यायालय में अंतरित होकर दर्ज रजिस्टर किया गया ।

दौराने कार्यवाही वाद वादी रमजान रंगरेज की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान कुतुबुद्दीन वगैरह को बतौर वादीगण पक्षकार जोड़ा गया । प्रतिवादी सं. 9 मांगी बेवा छोगा हरिजन एवं प्रतिवादी सं. 10 भमरू हरिजन का भी देहान्त हो जाने से उनके विधिक वारिसान का रेकार्ड पर लिये जाने हेतु वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ जो स्वीकार किया जाकर इनके विधिक वारिसान को बतौर प्रतिवादीगण रेकार्ड पर लिया गया।

न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजियात के मौका निरीक्षण करने हेतु तहसीलदार करेड़ा को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किया गया जिस पर पटवारी हल्का करेड़ा द्वारा ग्राम बेलिया का खेड़ा पटवार हल्का करेड़ा में स्थित वादग्रस्त आराजियात सं. 4955 , 4957 , 4958 , 4959 , 4962 , 4963 व 4964 का दिनांक 21–10–2020 को मौका देखा गया और दिनांक 26–10–2020 को मौका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत हुई।

प्रतिवादी सं. 10/1 से 10/6 की ओर से दिनांक 22–03–2021 को अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर बताया कि आराजी सं. 4959 व 4962 को वादी को आवंटित साबिक आराजी नं. 2198/15 क रकबा 5 बीघा के नवीन आराजी संख्या व रकबा नक्शा ट्रेस के अनुसार नहीं बनते हैं । आराजी सं. 4959 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा मिलान खसरे के अनुसार 2198/16 मी. का नये नंबर बना है व आराजी नं. 4962 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा का मिलान खसरे के अनुसार 2198/16 से नवीन नंबर बना है । साथ ही प्रतिवादी सं. 10/1 से 10/6 ने अपने जवाबदावे में आगे यह भी लिखा है कि उनके पिता व पति भमरू का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा था । उन्होंने उक्त आराजी नं. 4959 व 4962 में उनके सम्पूर्ण 1/2 हिस्से को मदन पिता घीसु रेगर निवासी करेड़ा को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा विक्रय कर दिया है और उक्त मदन पिता घीसु रेगर की मृत्यु हो चुकी है जिसका वारिस उसका पुत्र मुकेश पिता मदनलाल रेगर निवासी करेड़ा है । इसके साथ ही प्रतिवादीगण ने जवाबदावे में यह भी अंकित किया है कि उक्त आराजियात सं. 4959 व 4962 में प्रतिवादी सं. 2 मिठू पिता नेनुराम हरिजन ने अपना सम्पूर्ण 1/24 हिस्सा और प्रतिवादी सं. 7 मोहन पिता नेनुराम हरिजन ने भी अपना सम्पूर्ण 1/24 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा दिनांक 16–09–2020 को मुकेश पिता मदनलाल रेगर निवासी करेड़ा को विक्रय कर दिया है ।

वादीगण द्वारा दिनांक 19–07–2021 को उक्त मुकेश पिता मदनलाल रेगर निवासी करेड़ा को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 16–08–2021 को स्वीकार किया जाकर उक्त मुकेश पिता मदनलाल रेगर निवासी करेड़ा को प्रतिवादी सं. 18 के रूप में जोड़ा जाकर जरिये सम्मन तलब किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39.41 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 18 मुकेश पिता मदनलाल रेगर निवासी करेड़ा जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुआ और दिनांक 06–09–2021 को अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 10/1 से 10/6 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रकरण में वादीगण की ओर से साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 1 वादी कुतुबुद्दीन पिता रमजान रंगरेज निवासी करेड़ा का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रतिवादीगण को दिलायी गयी । पी.डब्ल्यू. 1 कुतुबुद्दीन रंगरेज द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्श मार्क किया गया । अधिवक्ता प्रतिवादीगण को जिरह हेतु अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा जिरह नहीं किये जाने से जिरह का अवसर बंद किया गया और साक्ष्य वादी बंद की गयी ।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस करना चाहा जिससे साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी ।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी व सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । अधिवक्ता वादीगण ने अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने अपने जवाबदावे में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया गया तथा अपनी बहस में बताया गया कि वादी रमजान रंगरेज को आवंटित की गयी साबिक आराजी नं. 2198/15 क रकबा 5 बीघा उनकी वर्तमान आराजी नं. 4959 व 4962 में नहीं मिलायी गयी है और न ही वादीगण का इस पर कोई कब्जा है ।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वादी रमजान पिता जमालुद्दीन रंगरेज निवासी करेड़ा को दिनांक 5–6–1965 को ग्राम करेड़ा की साबिक आराजी नं॰ 2198 में से 5 बीघा भूमि आवंटित की गयी जिसके बटा नंबर 2198/15 क रकबा 5 बीघा डाले जाकर नामान्तरकरण सं॰ 447 से वादी के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज किया गया । इसके पश्चात् नामान्तरकरण सं॰ 978 दिनांकित 14–7–1975 के क्रम सं. 939 से उक्त भूमि वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करने का आदेश हुआ जो संवत् 2021 से 2024 की जमाबंदी में वादी के नाम पर दर्ज थी जो कालान्तर में सेटलमेंट के दौरान प्रतिवादीगण की आराजियात में मिला दी गयी और वादी का नाम ही राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर दिया गया ।

पटवारी हल्का करेड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांकित 21–10–2020 का भी अवलोकन किया गया जिसमें उन्होंने बताया है कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार आराजी नं. 4955 रकबा 15 बिस्वा बिलानाम दर्ज है , आराजी नं. 4957 रकबा 17 बिस्वा गोपाल , टीना पिता मूलचंद खटीक व आराजी नं. 4958 रकबा 2 बीघा भैरूसिंह पिता रूघनाथसिंह राजपूत के नाम पर व आराजी नं. 4959 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा व आराजी नं. 4962 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा कुल 14 बीघा 2 बिस्वा बद्री , मीठू वगैरह पिता नेनूराम 1/4 , शंभू , भैरू पिता छोगा , मांगी पत्नी छोगा 1/4 , भमरू पिता भीमा 1/2 हरिजन के नाम पर व आराजी नं. 4963 रकबा 8 बिस्वा व 4964 रकबा 18 बिस्वा किता 2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा सीमादेवी पत्नी नवरतन 3/4 खटीक नाथी पुत्री चांदू हरिजन के नाम दर्ज रेकार्ड है । मौके पर मुस्तकील भूमि के निशानात व सीमाज्ञान से पता चलता है कि आराजी नं. 4959 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा में से रकबा 3 बीघा व आराजी नं. 4962 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल 4 बीघा 5 बिस्वा में वादी के पुत्र कुतुबुद्दीन रंगरेज वगैरह ने छाड़ियाँ व थोहर की बाड़ कर कब्जा कर रखा है और आराजी नं. 4959 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा में से रकबा 3 बीघा भूमि में पश्चिमी मेड़ पर एक कुआ खोद रखा है जो पक्का बंधा होकर 70 फीट गहरा है जो सन् 1974 में खोदा गया था । मौका रिपोर्ट के साथ नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से वादी के उक्त कब्जे को सीमांकित किया गया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

साथ ही वादीगण अधिवक्ता ने नामान्तरकरण सं. 978 दिनांकित 14–07–1975 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि उक्त नामान्तरकरण की प्रविष्टि सं. 939 पर वादी रमजान रंगरेज को आवंटित हुई आराजी नं. 2198/15 क रकबा 5 बीघा को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने का आदेश हुआ है जबकि प्रतिवादी सं. 10 भमरू पिता भीमा हरिजन को आवंटित आराजी नं. 2198/18 रकबा 5 बीघा उक्त नामान्तरकरण सं. 978 की प्रविष्टी सं. 942 से उसके नाम पर खातेदारी से दर्ज की गयी है जबकि वर्तमान आराजी नं. 4959 व 4962 के खसरा मिलान की प्रति को देखने पर वादी रमजान रंगरेज को जिस प्रविष्टि सं. 939 से खातेदारी दी गयी थी उस प्रविष्टी को भमरू पिता भीमा हरिजन के नाम पर दर्ज कर दिया गया है जबकि भमरू हरिजन को प्रविष्टी सं. 942 से खातेदारी प्राप्त हुई थी । वादीगण अधिवक्ता ने यह भी बताया कि प्रतिवादी सं. 10 भमरू पिता भीमा हरिजन को भी 5 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था जिसका जरीब के अंतर से नया रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा बनना चाहिये था किन्तु वर्तमान आराजी नं. 4959 व 4962 किता 2 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा में प्रतिवादी सं. 10 भमरू का 1/2 हिस्सा दर्ज है जो 7 बीघा 1 बिस्वा बनता है जो साफ तौर पर गलत दर्ज है ।

वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी बताया कि भमरू पिता भीमा हरिजन व उसके वारिसान प्रतिवादी सं. 10/1 से 10/6 द्वारा प्रतिवादी सं. 18 मुकेश पिता मदनलाल रेगर को जो बिकाव किया गया है वह दौराने कार्यवाही वाद न्यायालय का स्थगन आदेश जारी रहने के दौरान किया गया है जो धारा 52 टी.पी. एक्ट के तहत वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध होने से निरस्तनीय है ।

अतः प्रकरण में दिनांक 17–01–2022 को कायम तनकियात का तनकी वार निर्णिय निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी 1– आया वादपत्र की धारा सं. 1 में वर्णित अनुसार वादी रमजान पिता जमालुद्दीन रंगरेज निवासी करेड़ा को दिनांक 05–06–1965 को तत्कालील तहसीलदार मांडल द्वारा ग्राम करेड़ा की साबिक आराजी नं. 2198 में से 5 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी जो आवंटन पत्रावली 1565/65 दिनांक 05.06.1965 प्रर्दश सख्या 01 से साबित है। जिसके बटा नं. 2198/15 क रकबा 5 बीघा डाले जाकर नामान्तरकण सं. 447 से वादी रमजान रंगरेज के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई थी जो प्रर्दश सख्या 02 से साबित है। बाद में नामान्तरकरण सं. 938 दिनांकित 14–07–1975 ,नामान्तरकरण 978 प्रर्दश सख्या 10 है। वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज की गयी थी जो प्रर्दश सख्या 03 से साबित है।उक्त खातेदारी किसी भी सक्षम न्यायालय से खारीज नही की गई है।अत उक्त तनकी वादीगण के पक्ष मे एव प्रतिवादी गण के विरूद्व तय कि जाकर निर्णित कि जाती है।

तनकी 2– आया वादपत्र की धारा सं. 3 में अंकित नवीन आरांजियात किता 7 रकबा 19 बीघा साबिक आराजी नं. 2198 से कायम किये गये हैं जो प्रर्दश सख्या 04 मिलान खसरा 2025–26 से साबित होता है। और नवीन बंदोबस्त होने पर [illegible] में वादी को आवंटित साबिक आराजी नं. 2198/15 क रकबा 5 बीघा भी शामिल कर दी गयी है [illegible] सख्या 04 से साबित होता है।साबिक नक्शा प्रर्दश सख्या 05 व नवीन नक्शा [illegible] 2063–66 खाता सख्या 103 प्रर्दश सख्या 06 है।अत उक्त तनकी [illegible] प्रतिवादी गण के विरूद्व तय कि जाकर निर्णित कि जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

तनकी 3– आया वादीगण घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री द्वारा खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी हैं और नक्शा ट्रेस में भी संशोधन कराने के अधिकारी हैं। यदि हां तो किस प्रकार स इत्यादी तनकी नम्बर 3 के अन्मर्गत वादी द्वारा तनकी 1 व तनकी 2 अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे है।तथा अपने पुर्वजो को आवंटन होना व गेरखातेदारी दर्ज होना तथा फिर खातेदारी हक

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

से दर्ज होना साबित हैं जो खातेदारी हक अधिकार किसी भी न्यायालय से समाप्त नही की गई है। अत उक्त तनकी वादीगण के पक्ष मे एव प्रतिवादी गण के विरूद्व तय कि जाकर निर्णित कि जाती है।

तनकी 4– आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं चूकि तनकी सख्या 1,2,3, वादीगण के पक्ष मे तय कि गई है तो उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी 5– आया वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादीगण के नाम पर सहीतौर से दर्ज हुई है व कब्जा भी प्रतिवादीगण का है जिससे वादीगण का वादपत्र मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है न्यायालय द्वारा प्रकरण मे मोका रिर्पोट मय नक्शा तहसीलदार करेडा से मगवाई गई जिसमे कब्जा वादीगण का पाया गया रिपोर्ट पटवारी प्रर्दश सख्या 07, व नक्शा प्रर्दश सख्या 08, है मोका पर्चा प्रर्दश सख्या 09, खसरा गिरदावरी प्रर्दश सख्या 11, जमाबन्दी सम्वत 2073–76 प्रर्दश 12 , पर्चा खतोनी प्रर्दश 13 व 14 से उक्त तनकी प्रतिवादीगण का होने से तनकी का भार प्रतिवादीगण साबति करने मे असर्मथ रहे है। अत उक्त तनकी वादीगण के पक्ष मे एव प्रतिवादी गण के विरूद्व तय की जाकर निर्णित की जाती है।

तनकी 6– आया जवाबदावे में वर्णित अनुसार प्रतिवादी सं. 10 द्वारा वादग्रस्त आराजी नं. 4959 व 4962 में उसका सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 व 7 द्वारा भी अपना–अपना 1/24–1/24 वां हिस्सा दौराने वाद विक्रय कर दिये जाने से उक्त विक्रयपत्र वादीगण के मुकाबले शून्य एवं अवैध होने से निरस्तनीय हैं सेटलमेन्ट की गलती से वादीगण की भूमी प्रतिवादीगण के नक्शे मे संयुक्त हो गई, तत्पश्चात विकयहोने से विक्रयपत्र वादीगण के मुकाबले शून्य एवं अवैध होने से निरस्तनीय हैं अत उक्त तनकी वादीगण के पक्ष मे एव प्रतिवादी गण के विरूद्व तय कि जाकर निर्णित कि जाती है।

7. अनुतोष ।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया व प्रदर्शित दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है अर्थात् वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डनीय रही है । साथ ही प्रतिवादी सख्या 18 द्वारा स्वय न्यायालय मे उपस्थित होकर 500 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी से प्रमाणित कर वादग्रस्त आराजियात वादीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करने पर सहमति दर्ज कराई अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88–89 , 188–92 (क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है वादीगण को ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा मे स्थित साबिक आ0न0 2198 से बने नवीन आराजियात में से 04 बीघा 05 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण के कब्जे की मौका रिपोर्ट अनुसार एव सुपुर्दगीनामा नक्शे अनुसार नक्शे मे तरमीम की जावे, साथ ही शेष खसरा नम्बरान का रकबा बरारी करते हुए ग्राम बेलिया का खेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा मे स्थित वर्तमान आराजी नं.4955 रकबा 0.15 बिस्वा मे से 0.09 बिस्वा, आ0नं0 4957 रकबा 0.07 बिस्वा मे से 0.03 बिस्वा ,आ0नं0 4958 रकबा 02 बीघा मे से 0.14 बिस्वा, आ0नं0 4959 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा में से 3 बीघा, आ0नं0 4962 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा, आ0नं0 4963 रकबा 0.08 बिस्वा मे से रकबा 0.02 बिस्वा, आ0नं0 4964 रकबा 0.18 बिस्वा मे से रकबा 0.05 बिस्वा रकबे कुल किता 7 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । यह 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के खाते से कम की जाकर राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम पर दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि को किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द अन्तरित नहीं करे एवं वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे एवं उक्त भूमि में वादीगण के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करे । पक्षकारान् वाद व्यय अपना–अपना वहन करे।

यह आदेश आज दिनांक 26.04.2022 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 174/2017 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

रमजान पिता जमालुद्दीन जी रंगरेज मृतक के कायम मुकाम :–

1. कुतुबुद्दीन पिता रमजान जी रंगरेज उम्र 39 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
2. इमरान मोहम्मद पिता युनुस मोहम्मद रंगरेज उम्र 21 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
3. नसीम बानु पुत्री युनुस मोहम्मद रंगरेज उम्र 22 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
4. सिमरन बानु पुत्री युनुस मोहम्मद रंगरेज उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिये माता शहनाज बानु पत्नी युनुस मोहम्मद निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
5. माफिया बानु पुत्री युनुस मोहम्मद रंगरेज उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये माता शहनाज बानु पत्नी युनुस मोहम्मद निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
6. शहनाज बानु पत्नी युनुस मोहम्मद उम्र 40 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
7. शहनाज बानु पुत्री रमजान जी रंगरेज उम्र 49 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
8. फातमा बेगम पुत्री रमजान जी रंगरेज उम्र 47 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
9. सुगरा बानु पत्नी रमजान जी रंगरेज उम्र 70 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

–वादीगण

बनाम

1. शंकर पिता बद्री हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
2. मीठू पिता नेनूराम हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
3. शांतिलाल पिता रामपाल हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
4. सोनू पिता देवा हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
5. लाली पत्नी देवा हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
6. उमा उर्फ ओम त्यागी पिता नेनूराम हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
7. मोहन पिता नेनूराम हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

. भैरू पिता छोगा हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
. मांगी बेवा छोगा हरिजन मृतक के कायम मुकाम :–

9/1 भैरू पिता छोगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

9/2 शंभु पिता छोगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

9/3 शांति पुत्री छोगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

9/4) भंवरी पुत्री पिता छोगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10. भमरू पिता भीमा हरिजन मृतक के कायम मुकाम

10/1 दिनेश पिता भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/2 सुन्दर पिता भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/3 किशन पिता भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/4 दीपक पिता भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/5 छोटी पुत्री भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/6 श्रीमती मनोहरी पत्नी भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

11. राजू पिता शम्भू हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

12. भैरूसिंह पिता रूघनाथ सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी बेलियां का खेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

13. दुर्गाकंवर पुत्री रूघनाथ सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी बेलियां का खेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

14. गोपाल पिता मूलचंद खटीक उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

15. श्रीमती शांति पत्नी चांदू हरिजन मृतक का कायम मुकाम

15/1 चांदमल पिता गोकल हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा॰ माण्डल

17. उपपंजीयक सा॰ एवं तहसीलदार सा॰ ...

18. मुकेश पिता मदनलाल रेगर निवासी करेड़ा तहसील ... करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादीगण

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

वादी की ओर से श्री विपुल बापना , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से श्री अब्दुल रशीद पठान एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 26.04.2022

सहायक कलक्टर करेड़ा

को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

वादीगण का वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88–89 , 188–92 (क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है वादीगण को ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा मे स्थित साबिक आ0न0 2198 से बने नवीन आराजियात में से 04 बीघा 05 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण के कब्जे की मौका रिपोर्ट अनुसार एव सुपुर्दगीनामा नक्शे अनुसार नक्शे मे तरमीम की जावे, साथ ही शेष खसरा नम्बरान का रकबा बरारी करते हुए ग्राम बेलिया का खेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा में स्थित वर्तमान आराजी नं.4955 रकबा 0.15 बिस्वा मे से 0.09 बिस्वा, आ0नं0 4957 रकबा 0.17 बिस्वा मे से 0.03 बिस्वा आ0नं0 4958 रकबा 02 बीघा मे से 0.14 बिस्वा, आ0नं0 4959 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा में से 3 बीघा, आ0नं0 4962 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा, आ0नं0 4963 रकबा 0.08 बिस्वा मे से रकबा 0.02 बिस्वा, आ0नं0 4964 रकबा 0.18 बिस्वा मे से रकबा 0.05 बिस्वा रकबे कुल किता 7 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । यह 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के खाते से कम की जाकर राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम पर दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि को किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द अन्तरित नहीं करे एवं वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे एवं उक्त भूमि में वादीगण के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करे । पक्षकारान् वाद व्यय अपना–अपना वहन करे।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 26.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

संशोधित आदेश दिनांक 14.05.2022

ायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

ठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

कदमा नम्बर 174 / 2017 राजस्व वाद

मजान पिता जमालुद्दीन जी रंगरेज मृतक के कायम मुकाम :–

1. कुतुबुद्दीन पिता रमजान जी रंगरेज उम्र 39 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
2. इमरान मोहम्मद पिता युनुस मोहम्मद रंगरेज उम्र 21 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
3. नसीम बानु पुत्री युनुस मोहम्मद रंगरेज उम्र 22 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
4. सिमरन बानु पुत्री युनुस मोहम्मद रंगरेज उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिये माता शहनाज बानु पत्नी युनुस मोहम्मद निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
5. माफिया बानु पुत्री युनुस मोहम्मद रंगरेज उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये माता शहनाज बानु पत्नी युनुस मोहम्मद निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
6. शहनाज बानु पत्नी युनुस मोहम्मद उम्र 40 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
7. शहनाज बानु पुत्री रमजान जी रंगरेज उम्र 49 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
8. फातमा बेगम पुत्री रमजान जी रंगरेज उम्र 47 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
9. सुगरा बानु पत्नी रमजान जी रंगरेज उम्र 70 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

–वादीगण

बनाम

1. शंकर पिता बद्री हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
2. मीठू पिता नेनूराम हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
3. शांतिलाल पिता रामपाल हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
4. सोनू पिता देवा हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
5. लाली पत्नी देवा हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
6. उमा उर्फ ओम त्यागी पिता नेनूराम हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
7. मोहन पिता नेनूराम हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
8. भैरू पिता छोगा हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
9. मांगी बेवा छोगा हरिजन मृतक के कायम मुकाम :–
   9/1 भैरू पिता छोगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

9/2 शंभु पिता छोगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

9/3 शांति पुत्री छोगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

9/4) भंवरी पुत्री पिता छोगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10. भमरू पिता भीमा हरिजन मृतक के कायम मुकाम

10/1 दिनेश पिता भमरू हरिजन निवासी हरिंजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/2 सुन्दर पिता भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/3 किशन पिता भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/4 दीपक पिता भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/5 छोटी पुत्री भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/6 श्रीमती मनोहरी पत्नी भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

11. राजू पिता शम्भू हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

12. भैरूसिंह पिता रूघनाथ सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी बेलियां का खेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

13. दुर्गाकंवर पुत्री रूघनाथ सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी बेलियां का खेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

14. गोपाल पिता मूलचंद खटीक उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

15. श्रीमती शांति पत्नी चांदू हरिजन मृतक का कायम मुकाम

15/1 चांदमल पिता गोकल हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा• माण्डल

17. उपपंजीयक सा• एवं तहसीलदार सा• करेड़ा [illegible] –माण्डल

18. मुकेश पिता मदनलाल रेगर निवासी [illegible] जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 , 188–92 (क) रा•टि•ए•

संशोधित निर्णय

दिनांक 14–05–2022

उपस्थित :– भैरूलाल बापना , विपुल बापना –अधिवक्ता वास्ते वादीगण
अब्दुल रशीद पठान – अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 10/1
से 10/6 एवं 18
शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश है

वादी रमजान पिता जमालुद्दीन रंगरेज निवासी करेड़ा ने दिनांक 04–10–2007 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88 , 89 एवं 188–92 (क) रा•टि•ए• के तहत उपखण्ड अधिकारी मांडल के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वादी ने तहसीलदार सा• माण्डल से भूमि आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार सा• मांडल द्वारा दिनांक 5–6–1965 को ग्राम करेड़ा की साबिक आराजी नं• 2198 में से 5 बीघा भूमि वादी को आवंटित की गयी जिसके बटा नंबर 2198/15 क रकबा 5 बीघा डाले जाकर नामान्तरकरण सं• 447 से वादी के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई । इसके पश्चात् नामान्तरकरण सं• 978 दिनांकित 14–7–1975 से उक्त भूमि वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करने का आदेश हुआ जो संवत् 2021 से 2024 की जमाबंदी में वादी के नाम पर दर्ज थी। उक्त भूमि पर वक्त आवंटन से ही वादी का कब्जा चला आ रहा है । वादी का उक्त भूमि पर पिछले 42 वर्षो से निरंतर कब्जा चला आ रहा है । वादी ने उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाने में हजारों रूपयों की लागत लगाई है । उक्त भूमि का लगान भी वादी ही अदा करता आ रहा है । वादी ने उक्त भूमि पर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा मांडल से ऋण भी लिया था । वादी वक्त आवंटन से ही उक्त भूमि को काश्त कर रहा है एवं वर्तमान में भी उसने उक्त भूमि को काश्त कर रखी है ।

वादी ने अपने वादपत्र में आगे यह भी अंकन किया कि वादी को आवंटनशुदा भूमि रकबा 5 बीघा पर आज पर्यन्त वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है और लगान भी वादी ही अदा करता आ रहा है किन्तु उक्त भूमि नवीन बंदोबस्त में वादी के नाम पर दर्ज नहीं होने से वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ रहा है जिससे इन्द्राज दुरूस्ती करायी जाकर उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम से हटायी जाकर वादी के खाते में बतौर खातेदार अभिलिखित किया जाना व नक्शा ट्रेस में भी इसी अनुसार संशोधन कराया जाना आवश्यक है इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है । वर्तमान में नया राजस्व ग्राम बेलिया का खेड़ा पटवार हल्का करेड़ा का सृजन हो जाने से उक्त आवंटित आराजी ग्राम बेलिया का खेड़ा पटवार हल्का करेड़ा में आ गयी है।

वादी ने अपने वादपत्र में आगे यह भी अंकन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी के खाते में दर्ज नहीं होने से प्रतिवादीगण उक्त भूमि से वादी को बेदखल करना चाहते हैं एवं उक्त भूमि को [illegible] करने पर आमादा हो रहे हैं जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] आवश्यक है कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि को किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द/अन्तरित नहीं करे एवं वादी को उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं करे एवं उक्त भूमि में वादी के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करे एवं प्रतिवादी सं• 17 को भी स्थायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि अगर प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के अंतरण का कोई भी दस्तावेज पंजीयन हेतु उनके समक्ष पेश करे तो वे उसका पंजीयन नहीं करे ।

वादी का वादपत्र बाद जांच पेश होकर दर्ज रजिस्टर किया गया और प्रतिवादीगण को रिये सम्मन तलब किया गया जो बाद तामील जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए । प्रतिवादी सं. 12 व 13 की ओर से दिनांक 08–09–2011 को जवाबदावा प्रस्तुत हुआ जिसमें उन्होंने वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का खण्डन किया । कालान्तर में करेड़ा उपखण्ड बनने पर यह वादपत्र इस न्यायालय में अंतरित होकर दर्ज रजिस्टर किया गया ।

दौराने कार्यवाही वाद वादी रमजान रंगरेज की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान कुतुबुद्दीन वगैरह को बतौर वादीगण पक्षकार जोड़ा गया । प्रतिवादी सं. 9 मांगी बेवा छोगा हरिजन एवं प्रतिवादी सं. 10 भमरू हरिजन का भी देहान्त हो जाने से उनके विधिक वारिसान का रेकार्ड पर लिये जाने हेतु वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ जो स्वीकार किया जाकर इनके विधिक वारिसान को बतौर प्रतिवादीगण रेकार्ड पर लिया गया।

न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजियात के मौका निरीक्षण करने हेतु तहसीलदार करेड़ा को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किया गया जिस पर पटवारी हल्का करेड़ा द्वारा ग्राम बेलिया का खेड़ा पटवार हल्का करेड़ा में स्थित वादग्रस्त आराजियात सं. 4955 , 4957 , 4958 , 4959 , 4962 , 4963 व 4964 का दिनांक 21–10–2020 को मौका देखा गया और दिनांक 26–10–2020 को मौका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत हुई।

प्रतिवादी सं. 10/1 से 10/6 की ओर से दिनांक 22–03–2021 को अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर बताया कि आराजी सं. 4959 व 4962 को वादी को आवंटित साबिक आराजी नं. 2198/15 क रकबा 5 बीघा के नवीन आराजी संख्या व रकबा नक्शा ट्रेस के अनुसार नहीं बनते हैं । आराजी सं. 4959 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा मिलान खसरे के अनुसार 2198/16 मी. का नये नंबर बना है व आराजी नं. 4962 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा का मिलान खसरे के अनुसार 2198/16 से नवीन नंबर बना है । साथ ही प्रतिवादी सं. 10/1 से 10/6 ने अपने जवाबदावे में आगे यह भी लिखा है कि उनके पिता व पति भमरू का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा था । उन्होंने उक्त आराजी नं. 4959 व 4962 में उनके सम्पूर्ण 1/2 हिस्से को मदन पिता घीसु रेगर निवासी करेड़ा को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा विक्रय कर दिया है और उक्त मदन पिता घीसु रेगर की मृत्यु हो चुकी है जिसका वारिस उसका पुत्र मुकेश पिता मदनलाल रेगर निवासी करेड़ा है । इसके साथ ही प्रतिवादीगण ने जवाबदावे में यह भी अंकित किया है कि उक्त आराजियात सं. 4959 व 4962 में प्रतिवादी सं. 2 मिठू पिता नेनुराम हरिजन ने अपना सम्पूर्ण 1/24 हिस्सा और प्रतिवादी सं. 7 मोहन पिता नेनुराम हरिजन ने भी अपना सम्पूर्ण 1/24 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा दिनांक 16–09–2020 को मुकेश पिता मदनलाल रेगर निवासी करेड़ा को विक्रय कर दिया है ।

वादीगण द्वारा दिनांक 19–07–2021 को उक्त मुकेश पिता मदनलाल रेगर निवासी करेड़ा को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 16–08–2021 को स्वीकार किया जाकर उक्त मुकेश पिता मदनलाल रेगर निवासी करेड़ा को प्रतिवादी सं. 18 के रूप में पक्षकार जोड़ा जाकर जरिये सम्मन तलब किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:30:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 18 मुकेश पिता मदनलाल रेगर निवासी करेड़ा जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुआ और दिनांक 06–09–2021 को अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 10/1 से 10/6 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

प्रकरण में वादीगण की ओर से साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 1 वादी कुतुबुद्दीन पिता रमजान रंगरेज निवासी करेड़ा का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति अधिवक्ता

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रतिवादीगण को दिलायी गयी । पी.डब्ल्यू. 1 कुतुबुद्दीन रंगरेज द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्श मार्क किया गया । अधिवक्ता प्रतिवादीगण को जिरह हेतु अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा जिरह नहीं किये जाने से जिरह का अवसर बंद किया गया और साक्ष्य वादी बंद की गयी ।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस करना चाहा जिससे साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी ।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी व सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । अधिवक्ता वादीगण ने अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने अपने जवाबदावे में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया गया तथा अपनी बहस में बताया गया कि वादी रमजान रंगरेज को आवंटित की गयी साबिक आराजी नं. 2198/15 क रकबा 5 बीघा उनकी वर्तमान आराजी नं. 4959 व 4962 में नहीं मिलायी गयी है और न ही वादीगण का इस पर कोई कब्जा है ।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वादी रमजान पिता जमालुद्दीन रंगरेज निवासी करेड़ा को दिनांक 5–6–1965 को ग्राम करेड़ा की साबिक आराजी नं• 2198 में से 5 बीघा भूमि आवंटित की गयी जिसके बटा नंबर 2198/15 क रकबा 5 बीघा डाले जाकर नामान्तरकरण सं• 447 से वादी के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज किया गया । इसके पश्चात् नामान्तरकरण सं• 978 दिनांकित 14–7–1975 के क्रम सं. 939 से उक्त भूमि वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करने का आदेश हुआ जो संवत् 2021 से 2024 की जमाबंदी में वादी के नाम पर दर्ज थी जो कालान्तर में सेटलमेंट के दौरान प्रतिवादीगण की आराजियात में मिला दी गयी और वादी का नाम ही राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर दिया गया ।

पटवारी हल्का करेड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांकित 21–10–2020 का भी अवलोकन किया गया जिसमें उन्होंने बताया है कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार आराजी नं. 4955 रकबा 15 बिस्वा बिलानाम दर्ज है , आराजी नं. 4957 रकबा 17 बिस्वा गोपाल , टीना पिता मूलचंद खटीक व आराजी नं. 4958 रकबा 2 बीघा भैरूसिंह पिता रूघनाथसिंह राजपूत के नाम पर व आराजी नं. 4959 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा व आराजी नं. 4962 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा कुल 14 बीघा 2 बिस्वा बद्री , मीठू वगैरह पिता नेनूराम 1/4 , शंभू , भैरू पिता छोगा , मांगी पत्नी छोगा 1/4 , भमरू पिता भीमा 1/2 हरिजन के नाम पर व आराजी नं. 4963 रकबा 8 बिस्वा व 4964 रकबा 18 बिस्वा किता 2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा सीमादेवी पत्नी नवरतन 3/4 खटीक नाथी पुत्री चांदू हरिजन के नाम दर्ज रेकार्ड है । मौके पर मुस्तकील भूमि के निशानात से सीमाज्ञान करने पर पता चलता है कि आराजी नं. 4959 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा में से रक़बा 3 बीघा व आराजी नं. 4962 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा में वादी के पुत्र कुतुबुद्दीन रंगरेज वगैरह ने छड़ियों व थोहर की बाड़ कर कब्जा कर रखा है और आराजी नं. 4959 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा में से रकबा 3 बीघा भूमि में पश्चिमी मेड़ पर एक कुआ खोद रखा है जो पक्का बंधा होकर [illegible] गहरा है जो सन् 1974 में खोदा गया था । मौका रिपोर्ट के साथ [illegible] वादी के उक्त कब्जे को सीमांकित किया गया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

साथ ही वादीगण अधिवक्ता ने नामान्तरकरण सं. 978 दिनांकित 14–07–1975 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि उक्त नामान्तरकरण की प्रविष्टि सं. 939 पर वादी रमजान रंगरेज को आवंटित हुई आराजी नं. 2198/15 क रकबा 5 बीघा को गैर

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने का आदेश हुआ है जबकि प्रतिवादी सं. 10 भमरू पिता भीमा हरिजन को आवंटित आराजी नं. 2198/18 रकबा 5 बीघा उक्त नामान्तरकरण सं. 78 की प्रविष्टी सं. 942 से उसके नाम पर खातेदारी से दर्ज की गयी है जबकि वर्तमान आराजी नं. 4959 व 4962 के खसरा मिलान की प्रति को देखने पर वादी रमजान रंगरेज को जिस प्रविष्टि सं. 939 से खातेदारी दी गयी थी उस प्रविष्टी को भमरू पिता भीमा हरिजन के नाम पर दर्ज कर दिया गया है जबकि भमरू हरिजन को प्रविष्टी सं. 942 से खातेदारी प्राप्त हुई थी । वादीगण अधिवक्ता ने यह भी बताया कि प्रतिवादी सं. 10 भमरू पिता भीमा हरिजन को भी 5 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था जिसका जरीब के अंतर से नया रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा बनना चाहिये था किन्तु वर्तमान आराजी नं. 4959 व 4962 किता 2 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा में प्रतिवादी सं. 10 भमरू का 1/2 हिस्सा दर्ज है जो 7 बीघा 1 बिस्वा बनता है जो साफ तौर पर गलत दर्ज है ।

वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी बताया कि भमरू पिता भीमा हरिजन व उसके वारिसान प्रतिवादी सं. 10/1 से 10/6 द्वारा प्रतिवादी सं. 18 मुकेश पिता मदनलाल रेगर को जो बिकाव किया गया है वह दौराने कार्यवाही वाद न्यायालय का स्थगन आदेश जारी रहने के दौरान किया गया है जो धारा 52 टी.पी. एक्ट के तहत वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध होने से निरस्तनीय है ।

अतः प्रकरण में दिनांक 17–01–2022 को कायम तनकियात का तनकी वार निर्णिय निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी 1– आया वादपत्र की धारा सं. 1 में वर्णित अनुसार वादी रमजान पिता जमालुद्दीन रंगरेज निवासी करेड़ा को दिनांक 05–06–1965 को तत्कालील तहसीलदार मांडल द्वारा ग्राम करेड़ा की साबिक आराजी नं. 2198 में से 5 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी जो आवंटन पत्रावली 1565/65 दिनांक 05.06.1965 प्रर्दश सख्या 01 से साबित है। जिसके बटा नं. 2198/15 क रकबा 5 बीघा डाले जाकर नामान्तरकण सं. 447 से वादी रमजान रंगरेज के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई थी जो प्रर्दश सख्या 02 से साबित है। बाद में नामान्तरकरण सं. 938 दिनांकित 14–07–1975 ,नामान्तरकरण 978 प्रर्दश सख्या 10 है। वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज की गयी थी जो प्रर्दश सख्या 03 से साबित है।उक्त खातेदारी किसी भी सक्षम न्यायालय से खारीज नही की गई है।अत उक्त तनकी वादीगण के पक्ष मे एव प्रतिवादी गण के विरूद्व तय कि जाकर निर्णित कि जाती है।

तनकी 2– आया वादपत्र की धारा सं. 3 में अंकित नवीन आराजियात किता 7 रकबा 19 बीघा साबिक आराजी नं. 2198 से कायम किये गये हैं जो प्रर्दश सख्या 04 मिलान खसरा 2025–26 से साबित होता है। और नवीन बंदोबस्त होने पर इन आराजियात में वादी को आवंटित साबिक आराजी नं. 2198/15 क रकबा 5 बीघा भी शामिल कर दी गयी है जो प्रर्दश सख्या 04 से साबित होता है।साबिक नक्शा प्रर्दश सख्या 05 व नवीन नक्शा प्रर्दश सख्या 06 है। जमाबन्दी सम्वत 2063–66 खाता सख्या 103 प्रर्दश सख्या 06 है।अत उक्त तनकी वादीगण के पक्ष मे एव प्रतिवादी गण के विरूद्व तय कि जाकर निर्णित कि जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

तनकी 3– आया वादीगण घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती कि [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी हैं और नक्शा ट्रेस में भी [illegible] यदि हां तो किस प्रकार स इत्यादी तनकी नम्बर 3 के अन्मर्गत वादी [illegible] पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे है।तथा अपने पुर्वजो को आवंटन होना व [illegible] होना तथा फिर खातेदारी हक से दर्ज होना साबित हैं जो खातेदारी हक अधिकार किसी भी न्या[illegible]य से समाप्त नही की गई है। अत उक्त तनकी वादीगण के पक्ष मे एव प्रतिवादी गण के विरूद्व तय कि जाकर निर्णित कि जाती है।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

तनकी 4– आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं चूकि तनकी सख्या 1,2,3, वादीगण के पक्ष मे तय कि गई है तो उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी 5– आया वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादीगण के नाम पर सहीतौर से दर्ज हुई है व ब्जा भी प्रतिवादीगण का है जिससे वादीगण का वादपत्र मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है यायालय द्वारा प्रकरण मे मोका रिर्पोट मय नक्शा तहसीलदार करेडा से मगवाई गई जिसमे कब्जा ादीगण का पाया गया रिपोर्ट पटवारी प्रर्दश सख्या 07, व नक्शा प्रर्दश सख्या 08, है मोका पर्चा प्रर्दश ख्या 09, खसरा गिरदावरी प्रर्दश सख्या 11, जमाबन्दी सम्वत 2073–76 प्रर्दश 12 , पर्चा खतोनी प्रर्दश 3 व 14 से उक्त तनकी प्रतिवादीगण का होने से तनकी का भार प्रतिवादीगण साबति करने मे असर्मथ हे है। अत उक्त तनकी वादीगण के पक्ष मे एव प्रतिवादी गण के विरूद्व तय की जाकर निर्णित की जाती है।

तनकी 6– आया जवाबदावे में वर्णित अनुसार प्रतिवादी सं. 10 द्वारा वादग्रस्त आराजी नं. 4959 व 4962 में उसका सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 व 7 द्वारा भी अपना–अपना 1/24–1/24 वां हिस्सा दौराने वाद विक्रय कर दिये जाने से उक्त विक्रयपत्र वादीगण के मुकाबले शून्य एवं अवैध होने से निरस्तनीय हैं सेटलमेन्ट की गलती से वादीगण की भूमी प्रतिवादीगण के नक्शे मे संयुक्त हो गई, तत्पश्चात विकयहोने से विक्रयपत्र वादीगण के मुकाबले शून्य एवं अवैध होने से निरस्तनीय हैं अत उक्त तनकी वादीगण के पक्ष मे एव प्रतिवादी गण के विरूद्व तय कि जाकर निर्णित कि जाती है।

7. अनुतोष ।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया व प्रदर्शित दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है अर्थात् वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डनीय रही है । साथ ही प्रतिवादी सख्या 18 द्वारा स्वय न्यायालय मे उपस्थित होकर 500 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी से प्रमाणित कर वादग्रस्त आराजियात वादीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करने पर सहमति दर्ज कराई अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

वादीगण का वादपत्र राजीनामा आवेदन अनुसार दिनांकित 26.04.2022 के अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88–89 , 188–92 (क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है वादीगण को ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा मे स्थित साबिक आ0न0 2198 से बने नवीन आराजियात में से 04 बीघा 05 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण के कब्जे की मौका रिपोर्ट अनुसार एव सुपुर्दगीनामा नक्शे अनुसार नक्शे मे तरमीम की जावे, साथ ही शेष खसरा नम्बरान का रकबा बरारी करते हुए ग्राम बेलिया का खेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा में स्थित वर्तमान आराजी नं.4955 रकबा 0.15 बिस्वा मे से 0.15 बिस्वा, आ0नं0 4957 रकबा 0.17 बिस्वा मे से 0.03 बिस्वा ,आ0नं0 4958 रकबा 02 बीघा मे से 0.14 बिस्वा, आ0नं0 4959 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा में से 1 बीघा 6 बिस्वा , आ0नं0 4962 रकबा 3 बीघा 13 बि[illegible] 1 बीघा, आ0नं0 4963 रकबा 0.08 बिस्वा मे से रकबा 0.02 बिस्वा, [illegible] 18 बिस्वा मे से रकबा 0.05 बिस्वा रकबे कुल किता 7 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा [illegible] का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । यह 4 बीघा 5 [illegible] भूमि प्रतिवादीगण के खाते से कम की जाकर राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम पर दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदैन
सहायक कलक्टर करेड़ा

किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द अन्तरित नहीं करे एवं वादीगण को उक्त भूमि से खल नहीं करे एवं उक्त भूमि में वादीगण के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग में कोई भी वधान उत्पन्न नहीं करे । पक्षकारान् वाद व्यय अपना–अपना वहन करे।

यह आदेश आज दिनांक 14.05.2022 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी पदेन
(महीपाल सिंह)
सहायक कलक्टर करेड़ा
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

राजीनामा अनुसार संशोधित डिक्री दिनांक 14.05.2022

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 174/2017 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

रमजान पिता जमालुद्दीन जी रंगरेज मृतक के कायम मुकाम :–

1. कुतुबुद्दीन पिता रमजान जी रंगरेज उम्र 39 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
2. इमरान मोहम्मद पिता युनुस मोहम्मद रंगरेज उम्र 21 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
3. नसीम बानु पुत्री युनुस मोहम्मद रंगरेज उम्र 22 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
4. सिमरन बानु पुत्री युनुस मोहम्मद रंगरेज उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिये माता शहनाज बानु पत्नी युनुस मोहम्मद निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
5. माफिया बानु पुत्री युनुस मोहम्मद रंगरेज उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये माता शहनाज बानु पत्नी युनुस मोहम्मद निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
6. शहनाज बानु पत्नी युनुस मोहम्मद उम्र 40 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
7. शहनाज बानु पुत्री रमजान जी रंगरेज उम्र 49 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
8. फातमा बेगम पुत्री रमजान जी रंगरेज उम्र 47 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा
9. सुगरा बानु पत्नी रमजान जी रंगरेज उम्र 70 वर्ष निवासी करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

–वादीगण

बनाम

1. शंकर पिता बद्री हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
2. मीठू पिता नेनूराम हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
3. शांतिलाल पिता रामपाल हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
4. सोनू पिता देवा हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
5. लाली पत्नी देवा हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
6. उमा उर्फ ओम त्यागी पिता नेनूराम हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा
7. मोहन पिता नेनूराम हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

भैरू पिता छोगा हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

मांगी बेवा छोगा हरिजन मृतक के कायम मुकाम :–

9/1 भैरू पिता छोगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

9/2 शंभु पिता छोगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

9/3 शांति पुत्री छोगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

9/4) भंवरी पुत्री पिता छोगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10. भमरू पिता भीमा हरिजन मृतक के कायम मुकाम

10/1 दिनेश पिता भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/2 सुन्दर पिता भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/3 किशन पिता भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/4 दीपक पिता भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/5 छोटी पुत्री भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

10/6 श्रीमती मनोहरी पत्नी भमरू हरिजन निवासी हरिजन बस्ती करेड़ा , तहसील करेड़ा , जिला–भीलवाड़ा

11. राजू पिता शम्भू हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

12. भैरूसिंह पिता रूघनाथ सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी बेलियां का खेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

13. दुर्गाकंवर पुत्री रूघनाथ सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी बेलियां का खेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

14. गोपाल पिता मूलचंद खटीक उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

15. श्रीमती शांति पत्नी चांदू हरिजन मृतक का कायम मुकाम

15/1 चांदमल पिता गोकल हरिजन उम्र वयस्क निवासी करेड़ा तहसील–माण्डल जिला–भीलवाड़ा

16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा• माण्डल

17. उपपंजीयक सा• एवं तहसील[illegible] माण्डल

18. मुकेश पिता मदनलाल रेगर निवासी करेड़ा त[illegible]ड़ा जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री विपुल [illegible] तिवादी की ओर से श्री अब्दुल रशीद पठान एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस [illegible] के आज दिनांक 26.04.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

ो न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि ौर डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि ाज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा ाशि शून्य को दी जायें।

वादीगण का वादपत्र राजीनामा आवेदन अनुसार दिनांकित 26.04.2022 के अनुसार तिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88–89 , 188–92 (क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट ्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है वादीगण को ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा मे स्थित साबिक आ0न0 2198 से बने नवीन आराजियात में से 04 बीघा 05 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण के कब्जे की मौका रिपोर्ट अनुसार एव सुपुर्दगीनामा नक्शे अनुसार नक्शे मे तरमीम की जावे, साथ ही शेष खसरा नम्बरान का रकबा बरारी करते हुए ग्राम बेलिया का खेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा में स्थित वर्तमान आराजी नं.4955 रकबा 0. 15 बिस्वा मे से 0.15 बिस्वा, आ0नं0 4957 रकबा 0.17 बिस्वा मे से 0.03 बिस्वा ,आ0नं0 4958 रकबा 02 बीघा मे से 0.14 बिस्वा, आ0नं0 4959 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा में से 1 बीघा 6 बिस्वा , आ0नं0 4962 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बीघा, आ0नं0 4963 रकबा 0.08 बिस्वा मे से रकबा 0.02 बिस्वा, आ0नं0 4964 रकबा 0.18 बिस्वा मे से रकबा 0.05 बिस्वा रकबे कुल किता 7 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । यह 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के खाते से कम की जाकर राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम पर दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि को किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द अन्तरित नहीं करे एवं वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे एवं उक्त भूमि में वादीगण के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करे। पक्षकारान् वाद व्यय अपना–अपना वहन करे।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से आदेश जारी की गयी।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा